# कार्यवृत्त

## बुधवार, 03 भाद्रपद, शक संवत्, 1943

## ( दिनांक : 25 अगस्त, 2021 )

खण्ड–60
अंक–3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री प्रीतम सिंह | लोक निर्माण विभाग के फील्ड कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)** |
| 2. | श्री उमेश शर्मा काऊ | नगर निगम देहरादून में महापौर देहरादून की निधि से करोड़ों रूपये की योजनाएं कुछ वार्डों में स्वीकृत किये जाने तथा शेष वार्डों की उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)** |
| 3. | श्री देशराज कर्णवाल 'चमार साहब' | उत्तराखण्ड में विमुक्त जाति अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी करने एवं अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। |
| 4. | श्री शक्ति लाल शाह | टिहरी–घनशाली मोटर मार्ग के मध्य टिहरी डैम को यातायात हेतु हर समय सुचारू रखने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)** |
| 5. | श्री राजकुमार ठुकराल | उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में वर्ष 2001 एवं 2002 में भर्ती हुए पुलिस कर्मियों का 4600 ग्रेड पे का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।**(मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)** |
| 6. | श्री महेन्द्र भटट् | भीषण आपदा से प्रभावित चिपको आन्दोलन की प्रणेता गौरा देवी जी के गांव रैणी–जोशीमठ के विस्थापन के सम्बन्ध में। |
| 7. | श्रीमती मुन्नी देवी शाह | विधान सभा थराली में राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य के स्थाई पद नहीं होने से शिक्षा तथा विद्यालयी कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)** |

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2021 के प्रथम सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2019–20 का वार्षिक लेखा विवरण सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम अमरपुर पोस्ट ईकबालपुर में कादरपुर से जहाजगढ़ तक सड़क बनाये जाने के सम्बध में'' श्री सिद्वार्थ पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह ग्राम अमरपुर, पोस्ट ईकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मानकपुर में आन्तरिक गलियों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में'' श्री वेदपाल सैनी पुत्र श्री टिक्का सिंह, ग्राम मानकपुर, पो0 खास जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब, सदस्य विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सठरेडी, पोस्ट भगवानपुर में सठरेडी शाहजहॉपुर से बालेकी मैन रोड तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध मे'' श्री रामशरण पुत्र श्री सन्तू, ग्राम सठरेडी शाहजहॉपुर, पोस्ट भगवानपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''टिहरी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रतोली, विकास खण्ड जाखणीधार के ग्राम मटरखाणी, अनेठी व गडोलिया को लम्बे समय से राजस्व ग्राम घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री सोबन सिंह राणा, ग्राम चाह गडोलिया, पो0 गडोलिया, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री धन सिह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण में लम्बे समय से पदों पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री अमित मिश्रा, ग्राम व पो0 कोटी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 अगस्त, 2021 की बैठक में दिनांक 25 एवं 26 अगस्त, 2021 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

**अगस्त, 2021**

**25 (बुधवार) विधायी कार्य।**

1. अनुदानवार अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
2. उत्तराखण्ड विनियोग (2021–22 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।
3. आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
4. डी आई टी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
5. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

**असरकारी विधेयक।**

1. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2021 का पुरःस्थापन।
2. उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021 का पुरःस्थापन।

**26 (गुरूवार) विधायी कार्य।**

1. हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
2. उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
3. उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मा0 मुख्यमंत्री ने राजकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए माह जुलाई, 2021 से केन्द्र सरकार के अनुरूप 11 प्रतिशत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता स्वीकृत किये जाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कुल 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता माह सितम्बर, 2021 के वेतन से मिलेगा तथा माह जुलाई, 2021 एवं माह अगस्त, 2021 का एरियर प्रदान किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से श्री करन माहरा एवं काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री हरीश सिंह एवं श्री मनोज रावत, श्रीमती ममता राकेश, श्री प्रीतम सिंह तथा श्री प्रीतम सिंह पंवार को सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

**(12 बजकर 34 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)**

पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षियों को 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर 4600 ग्रेड पे प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष मा0 सदस्य, श्री करन माहरा एवं काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किये।

**(01 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)**

कृषि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला विधान सभा क्षेत्र में माह जून–जुलाई 2020 एवं माह जून–जुलाई 2021 में आयी आपदा के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य, श्री हरीश सिंह ने विचार व्यक्त किये। आपदा प्रबन्धन मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नामा नागेशवर राव, मा0 सभापति, संसदीय पुस्तकालय समिति ने अवगत कराया है कि इस विधान सभा के मा0 सदस्य दिल्ली प्रवास के दौरान संसद पुस्तकालय, लोक सभा परिसर, दिल्ली का उपयोग कर सकेंगे, जो कि उनके लिए बेहद फायदेमंद होगा। संसद पुस्तकालय में लगभग 18 लाख दस्तावेज है। मा0 सदस्य विभिन्न संसाधनों जैसे ई–पत्रिकाओं और ई–समाचार पत्रों का लाभ उठा सकते हैं।

**सदन की कार्यवाही 01 बजकर 40 मिनट पर भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 03:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।**

प्रदेश में मौसम बीमा फसल योजना के अन्तर्गत खरीफ 2021 में इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा की गई धोखाधड़ी के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य, श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये। मा0 कृषि मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

लखवाड़ व्यासी परियोजना में प्रभावितों का पुर्नवास अभी तक भी न किये जाने के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य ने विचार व्यक्त किये। मा0 ऊर्जा मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये।

**(04 बजकर 03 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)**

मा0 सैनिक कल्याण मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित सूचना की ग्राहयता के सम्बन्ध में मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 सदस्य श्री राजकुमार, हाजी फुरकान अहमद तथा श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किये।

मा0 श्रम मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया। श्रम मंत्री के उत्तर से संतुष्ट न होने पर विपक्ष ने सदन का **बर्हिगमन** किया।

**वित्तीय वर्ष 2021–2022 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः–**

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि–परिषद के अन्तर्गत रू0 8500 हजार (पचासी लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–3 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 149285 हजार (चौदह करोड़ बानवे लाख पचासी हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–4 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत रूपये 519 हजार (रूपये पांच लाख उन्नीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0 542306 हजार (चौवन करोड़ तेइस लाख छः हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 19476302 हजार (एक हजार नौ सौ सैंतालीस करोड़ तिरसठ लाख दो हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–7 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत रू0 18300 हजार (एक करोड़ तिरासी लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–8 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0 28091 हजार (दो करोड़ अस्सी लाख इक्यानवे हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

शिक्षा मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 2478135 हजार (दो सौ सैंतालीस करोड़ इक्यासी लाख पैंतीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रू0 4901521 हजार (चार सौ नब्बे करोड़ पन्द्रह लाख इकीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

पेयजल मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 5799678 हजार (पांच सौ उन्नासी करोड़ छियानवे लाख अठहत्तर हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत रू0 144000 हजार (चौदह करोड़ चालीस लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रू0 3788149 हजार (तीन सौ अठहत्तर करोड़ इक्यासी लाख उनचास हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

श्रम मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रू0 257403 हजार (पच्चीस करोड़ चौहत्तर लाख तीन हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0 480610 हजार (अड़तालीस करोड़ छः लाख दस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत रू0 11089 हजार (एक करोड़ दस लाख नवासी हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

ग्राम्य विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 7541982 हजार (सात सौ चौवन करोड़ उन्नीस लाख बयासी हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0 449887 हजार (चवालीस करोड़ अठ्ठानवे लाख सतासी हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत रू0 560 हजार (पांच लाख साठ हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–21 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

लोक निर्माण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 2601400 हजार (दो सौ साठ करोड़ चौदह लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–22 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रू0 1103614 हजार (एक सौ दस करोड़ छत्तीस लाख चौदह हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रू0 1445600 हजार (एक सौ चवालीस करोड़ छप्पन लाख मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–24 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

खाद्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत रू0 1050 हजार (दस लाख पचास हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रू0 451220 हजार (पैंतालीस करोड़ बारह लाख बीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

वन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रू0 1669336 हजार (एक सौ छियासठ करोड़ तिरानवे लाख छत्तीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रू0 193414 हजार (उन्नीस करोड़ चौंतीस लाख चौदह हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

औद्यानिक विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रू0 350756 हजार (पैंतीस करोड़ सात लाख छप्पन हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 2335752 हजार (दो सौ तैंतीस करोड़ सत्तावन लाख बावन हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 940544 हजार (चौरानवे करोड़ पांच लाख चवालीस हजार मात्र) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2021–2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2021–2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2021–2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–3, खण्ड–1, तथा अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2021–2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि आई0 एम0 एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आई0 एम0 एस0 यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि डी0 आई0 टी0 विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि डी0 आई0 टी0 विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन ने उक्त प्रस्ताव में निम्नांकित संशोधन प्रस्तुत कियाः–

''उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें'' प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ,

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–15, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

श्री मनोज रावत, सदस्य विधान सभा ने असरकारी विधेयक ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2021'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ,

**(06 बजकर 13 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)**

श्री हरीश सिंह, सदस्य विधान सभा ने असरकारी विधेयक ''उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021'' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

**(06 बजकर 58 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 53 के अन्तर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचना जो कि विद्युत वितरण खण्डों एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की समस्याओं का निस्तारण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल की सूचना जो कि विधान सभा क्षेत्र कपकोट के क्षेत्रान्तर्गत लघु जल विद्युत परियोजना बाछम का निर्माण कार्य अत्यधिक विलम्ब होने के पश्चात भी अपूर्ण रहने के संबंध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

प्रदेश में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम शिक्षक एवं इण्टर कालेज में व्यायाम प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में, श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2021 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के जीर्ण–शीर्ण भवनों का नवनिर्माण न होने से व्याप्त सम्बन्ध में, श्री महेश जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2021 को दी गई सूचना पर, संसदीय मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

**सदन की कार्यवाही 07 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**मुकेश सिंघल,**
**सचिव (प्रभारी)**
**विधान सभा।**

**स्वीकृत,**

**प्रेम चन्द अग्रवाल,**
**अध्यक्ष,**
**विधान सभा।**